विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा

प्रश्न संख्या तारांकित : 5069

उत्तर की तिथि : 11.03.2022

विषय : पद्मश्री कैलाश चन्द महाजन 2 मैगावाट प्रोजैक्ट

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री पवन नैय्यर (चम्बा)

सम्बन्धित मन्त्री : बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री

	प्रश्न	**उत्तर**
(क)	यह सत्य है कि पद्मश्री कैलाश चन्द महाजन दो मैगावाट प्रोजैक्ट साल दो पावर हाउस बालू चम्बा दिनांक 10.03.2015 को क्षतिग्रस्त हो गया था; यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत हेतु क्या पग उठा रही है तथा इसे पुनः कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा; ब्यौरा दें;	**(क), (ख) एवं (ग)** सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	सरकार इस पावर हाउस को स्वयं चलाने के पक्ष में है या किसी प्राइवेट कम्पनी के माध्यम से चलाने के पक्ष में है; ब्यौरा दें और	
(ग)	इसके बन्द होने से सरकार को कितना नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है; ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 5069 जो कि श्री पवन नैय्यर (चम्बा) द्वारा पद्मश्री कैलाश चन्द महाजन 2 मैगावाट प्रोजैक्ट बारे पूछा गया है एवं दिनांक 11.03.2022 को उत्तर के लिए निर्धारित हुआ है, से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) एवं (ख)

जी हाँ, यह सत्य है कि पद्मश्री कैलाश चन्द महाजन 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना साल–II पॉवर हाउस बालू चम्बा दिनांक 10.03.2015 को क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी मरम्मत के प्रस्तावों पर हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की Whole Time Directors (WTDs) की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई तथा दिनांक 30.12.2021 को WTD की 97वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि साल–II जल विद्युत परियोजना के मरम्मत के कार्य को निविदा बुलाकर प्राइवेट ठेकेदार द्वारा करवाया जाएगा और कार्य के करने हेतु जो व्यय होगा वह भी प्राइवेट ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। परियोजना के Commission होने के उपरान्त् इस योजना को 15 वर्ष के लिए प्राइवेट ठेकेदार को चलाने के लिए दे दिया जाएगा।

साल–II के मरम्मत के कार्य को शुरू करने के लिए हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (HPERC) से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन लेना आवश्यक है जिसके लिए मामला एच0पी0ई0आर0सी0 को दिनांक 25.02.2022 को भेजा जा चुका है। अनुमोदन आने के उपरान्त् निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

(ग) यह परियोजना क्षतिग्रस्त होने से पहले वित्त वर्ष 2013–2014 में लगभग 66.49 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रही थी।

एच0पी0ई0आर0सी0 द्वारा वर्ष 2014 में इस विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली का टैरिफ ₹ 2.25 निर्धारित किया गया था। इस प्रकार परियोजना से 66,49,000X2.25 = ₹ **1,49,60,250** का राजस्व हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0 को प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा था। इस दौरान इस परियोजना के परिचालन हेतु प्रतिवर्ष लगभग ₹ 88 लाख का खर्च आ रहा था।

इस प्रकार परियोजना के बन्द होने से हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0 को लगभग 1,49,60,250–88,00,000 = ₹ **61,60,250** का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है।

****